

फर्क आहकाम

861 मति पोधी डेवी नाम सुमन क अन्ध

नाम न्यायालय SDO II सांगानेर

केस संख्या 54/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विषय वस्तु
	18/7/25	<p>से कुय की जिस पर अपाधी द्वारा मकान का निर्माण किया अपाधी सं. 1 क 2 को आधार भूत सुविधा विधुत कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता है अपाधी का प्रथम दृष्टया केस क सुविधा का सम्बन्ध नहीं पाया जाता है अतः इस न्यायालय जारी आस्था निषेधाज्ञा दिनांक 05/03/2025 में क्षियता प्रदान करते हुए अपाधी सं. 4 को अन्त भूण पर विधुत कनेक्शन जारी करने की दृष्ट दी जाती है अपाधी सं. 3 को मोक की यथास्थिति बनाए रखे पत्रावली संख्या से काम होकर बाद तक मोक दाखिल दफ्तर हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>